प्रशान्त कुमार
आई0पी0एस0

डीजी–परिपत्र संख्या–19/2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ।
दिनांक– अप्रैल, 15 2024, लखनऊ

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको अवगत कराना हैं कि बच्चों का लापता या गुम हो जाना एक गम्भीर विषय है, लापता बच्चों से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना के सन्दर्भ में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2019 में भी गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचनाओं के सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है। पूर्व निर्गत परिपत्रों एवं नियमावली में विवेचना एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बच्चों की उम्र के बिन्दु पर भिन्नता है, जिसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2– गुमशुदा बच्चों की विवेचना के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–12/2013, दिनांकित 11.04.2013 के बिन्दु संख्या–17 में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये थे–

"वे सभी प्रकरण जहां पर 03 वर्ष से 08 वर्ष तक के बच्चे चार माह तक बरामद नहीं होते हैं उनकी विवेचना जनपदीय क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानान्तरित की जायेगी। पुलिस अधीक्षक (अपराध) उन विवेचनाओं को अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेगें।"

3– उपरोक्त परिपत्र के आधार पर 03 से 08 वर्ष तक के गुमशुदा बच्चे की 04 माह तक बरामदगी न होने की दशा में पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रदेश के 35 जनपदों में स्थापित किये गये एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उनका क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाने विषयक पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–8/2016, दिनांकित 16.02.2016 के बिन्दु संख्या–3 द्वारा इस प्रकार के अभियोगों से सम्बन्धित प्रकरणों की विवेचनायें अपने जनपद के क्षेत्राधिकार वाले एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानान्तरति कर प्रकरण से सम्बन्धित बच्चों की बरामदगी व अभियोगों का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये थे।

4– इस सन्दर्भ में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के एक अन्य परिपत्र संख्या–32/2018, दिनांक 21.06.2018, द्वारा भी उपरोक्तानुसार निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये–

"वह सभी प्रकरण जहां पर 03 वर्ष से 08 वर्ष तक के बच्चे चार माह तक बरामद नहीं होते हैं उनकी विवेचना जनपदीय क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को स्थानान्तरित की जायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अपराध उन विवेचनाओं को अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेगें।"

5– उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2019 के नियम 92(5) में गुमशुदा बच्चों की विवेचना के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है–

"जहां बालक को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जायेगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।"

6– उपरोक्तानुसार उल्लिखित तीनों परिपत्रों में केवल 03 वर्ष से 08 वर्ष तक के गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों की विवेचनाओं को ही एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) के हस्तानान्तरित किये जाने का प्राविधान है, जबकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2019 में गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित विवेचनाओं के एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रावधानों में

''बालक'' शब्द का उल्लेख किया गया है। ज्ञातव्य है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2(12) में ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं है, उल्लिखित है। इस प्रकार उपरोक्त निर्गत परिपत्रों एवं नियमावली में निहित प्रावधानों में भिन्नता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2019 के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

7— अतः **जहां बालक (18 वर्ष से कम आयु) को चार मास की अवधि के भीतर खोजा नहीं जा सकता है मामले के अन्वेषण को जिला की मानव अवैध व्यापार रोधी इकाई को हस्तांतरित किया जायेगा जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक तीन मास में रिपोर्ट भेजेगा।**

8— उपरोक्त उल्लिखित तीनों परिपत्रों के केवल इस बिन्दु को ही प्रस्तर–7 के अनुसार संशोधित किया जा रहा है, इस बिन्दु के अतिरिक्त अन्य समस्त बिन्दु यथावत प्रभावी रहेंगे।

9— मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उपरोक्त बिन्दु पर कमिश्नरेट/जनपद में उपरोक्तांकित निर्देश से अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय

15.4.24.

(प्रशान्त कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/जी0आर0पी0, उ0प्र0।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/तकनीकी सेवायें/राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0।